

# दिल्ली मेट्रो में मारे गये मज़दूर हादसे के शिकार या मुनाफ़े के! डी.एम.आर.सी. और सरकार की हत्यारी नीतियाँ और ठेका कम्पनी की मुनाफ़ाख़ोर हवस!

दिल्ली मेट्रो में कार्यरत मज़दूरों की जीवन स्थितियाँ आज हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि देश की आज़ादी के 63 साल बाद भी क्या सचमुच देश की मेहनतकश आबादी आज़ाद है? अगर वह आज़ाद है तो 10-12 घण्टे हर रोज़ मौत के साथे तले गुलाम की तरह काम करने के लिए, जिसमें अगर जिन्दा रहा तो उसे पगार मिल जायेगी वरना वे भी काम के दौरान हर रोज़ देश में मरने वाले 6000 मज़दूरों की गिनती में शामिल हो जायेंगे। दूसरी तरफ़ इन तमाम बेक्सूर मेहनतकशों की मौत के जिम्मेदार हत्यारों की न तो गिरफ़तारी होती है, न ही सज़ा मिलती और न ही मज़दूरों को इन्साफ़ मिलता है। जमरूदपुर मेट्रो हादसे की ताज़ा घटना उसी का एक और प्रमाण है।

पिछली 12 जुलाई की सुबह दिल्ली के जमरूदपुर इलाके में मेट्रो रेल का बन रहा पुल गिर जाने से 6 मज़दूरों की मौत हो गयी और करीब 20 से 25 मज़दूर घायल हो गये। उस जगह पर काम करने वाले मज़दूरों और उनके सुपरवाइज़र ने मेट्रो प्रशासन और ठेका कम्पनी गैमन को बहुत पहले ही बता दिया था कि इस जगह पर काम करना खतरे से ख़ाली नहीं है। मालूम हो कि पुल के पिलर न. 67 में कुछ महीने पहले दरार आ गयी थी जिसके चलते करीब तीन महीने पहले काम रोकना पड़ा था। लेकिन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मेट्रो रेल का काम पूरा करके वाहवाही लूटने के चक्कर में मेट्रो प्रशासन ने ठेका कम्पनियों को मज़दूरों का शोषण करने, सभी श्रम कानूनों का उल्लंघन करने और तमाम सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने की पूरी छूट दे रखी थी। इसीलिए ठेका कम्पनी गैमन इण्डिया ने मेट्रो प्रशासन के इंजीनियरों की जानकारी और इजाज़त से उस दरार की थोड़ी-बहुत मरम्मत करवाकर दो-तीन दिन में ही फिर से काम शुरू करा दिया। 11 जुलाई की रात भी पुल के टूटने के डर से काम को रोकना पड़ा था। लेकिन मुनाफ़े की हवस में अन्धी कम्पनी ने 12 जुलाई की सुबह 4.30 बजे फिर से काम शुरू करवा दिया। कुछ ही देर में दरार वाला खम्भा टूट गया और पुल में लगने वाला लोहे का कई सौ टन का लांचर टूटकर गिर पड़ा जिसके नीचे करीब 35 मज़दूर आ गये। इनमें से कुछ ने दुर्घटनास्थल पर और कुछ अस्पताल पहुँचते-पहुँचते मौत की गोद में समा गये। इस दुर्घटना के तुरन्त बाद दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक ई. श्रीधरन ने प्रेस कांफ्रेस में इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी। जैसाकि तय ही था, शीला दीक्षित की सरकार ने इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। साफ़ है कि यह इस्तीफ़ा इस

भयंकर दुर्घटना से ध्यान हटाने के लिए की गयी एक नौटंकी थी ताकि मुख्य बात से लोगों को ध्यान हटाया जा सके ऐसे में यह सोचने की बात है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है?

इस घटना के अगले ही दिन उसी जगह पर टूटे लांचर को हटाने के लिए लगायी गयी 4 क्रेनें पलट गर्याँ जिससे पूरा लांचर और ढेरों मलबा फिर नीचे गिर पड़े। इस दुर्घटना में तीन इंजीनियर और तीन मज़दूर घायल हो गये। कारपोरेट जगत की आँखों के तरे बने श्रीधरन महोदय से पूछा जाना चाहिए कि इन मज़दूरों को ठेका कम्पनियों की मुनाफ़े की हवस के भरोसे छोड़ देने के समय उनकी नैतिकता कहाँ चली गयी थी?

इस हादसे के दो दिन बाद ही 14 जुलाई की सुबह मुम्बई मेट्रो का भी पिलर गिर गया। यहाँ पर भी गैमन इण्डिया काम करवा रही थी। यही वह ठेका कम्पनी है जिसके द्वारा निर्मित एक फ्लाईओवर पिछले वर्ष हैदराबाद में ध्वस्त हो गया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी थी। गैमन इण्डिया द्वारा बनाये गये कई ढाँचे पिछले सालों के दौरान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन सबके बावजूद गैमन इण्डिया को हमेशा 'क्लीन चिट' मिल गयी। इसी से ठेका कम्पनियों और सरकार में बैठे अधिकारियों के अपवित्र गठबन्धन के बारे में साफ़ पता चल जाता है।

मेट्रो रेल के निर्माण में होने वाली यह पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले अक्टूबर, 2008 में लक्ष्मीनगर, सितम्बर 2008 में चांदनी चौक और जुलाई 2008 में राममनोहर लोहिया अस्पताल के पास भी मेट्रो निर्माण स्थल पर दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनमें बेगुनाह मज़दूर और नागरिक मारे गये थे। छोटी-छोटी दुर्घटनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। एक घटना में तो मेट्रो के एक डम्पर ने सोते हुए मज़दूरों पर मिट्टी से भरा ट्रक पलट दिया था, जिससे कई मज़दूरों की दबकर मौत हो गयी थी। इन घटनाओं की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पूरे निर्माण में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हैं ठेका कम्पनियाँ सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती हैं। ऐसे में कोई भी दुर्घटना होने पर सरकार डी.एम.आर.सी पर जिम्मेदारी डालती है, डी.एम.आर.सी ठेकेदार पर और ठेकेदार छोटे ठेकेदार या छोटे कर्मचारी को जिम्मेदार ठहरा कर पल्ला झटा लेते हैं। और बलि का बकरा बनता है एक अद्ना सा कर्मचारी जबकि हकीक़त में मूल जिम्मेदारी डी.एम.आर.सी की बनती है क्योंकि डी.एम.आर.सी ही सुरक्षा तन्त्र और ठेका कम्पनियों की निगरानी के लिए जबाबदेह है।

श्रम कानूनों का यह नंगा उल्लंघन सिर्फ़ निर्माण मज़दूरों के साथ ही नहीं हो रहा है। मेट्रो में काम करने वाले समस्त

ठेका मज़दूरों के श्रम अधिकारों का डी.एम.आर.सी. और ठेका कम्पनियाँ बेशर्मी के साथ मखौल उड़ा रही हैं। कुछ और तथ्यों पर निगाह डालिए। मेट्रो स्टेशनों और डिपो पर काम करने वाले क़रीब 3000 सफाई कर्मचारी नौ ठेका कम्पनियों के तहत काम कर रहे हैं, जिन्हें 2800 से 3300 रुपये तक तनख्वाह मिलती है, जबकि कानून उनकी तनख्वाह 5300 रुपये होनी चाहिए। इस पर जब मज़दूरों ने 'मेट्रो कामगार संघर्ष समिति' बनाकर आन्दोलन किया तो आन्दोलन में शामिल मज़दूरों को डी.एम.आर.सी. और ठेका कम्पनियों ने निकालना शुरू कर दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो दिल्ली प्रशासन के साथ मिलकर डी.एम.आर.सी. ने उन्हें दो दिनों के लिए जेल में भी डलवाया। यह आन्दोलन अभी भी जारी है।

इस तरह के सैकड़ों आँकड़े गिनाये जा सकते हैं जिसके ज़रिये डी.एम.आर.सी. और ठेका कम्पनियों द्वारा श्रम कानूनों, सुरक्षा उपायों और कार्यस्थितियों की उपेक्षा का प्रमाण मिलता है। यह कोई अनजाने में होने वाली उपेक्षा नहीं है। इसके पीछे डी.एम.आर.सी. और ठेका कम्पनियों की मुनाफ़े की हवस और उनका भ्रष्टाचार है। 'मेट्रो कामगार संघर्ष समिति' ने निर्माण मज़दूरों को आन्दोलन में साथ लेते हुए ठेका मज़दूरों के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ़ प्रदर्शन का रास्ता अखिल्यार किया। जमरूदपुर हादसे पर निर्माण मज़दूरों की मेट्रो कामगार संघर्ष समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मेट्रो मज़दूरों और मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं ने जनतर-मन्तर पर प्रदर्शन किया। जमरूदपुर साइट के चालीस मज़दूर ठेकेदारों की धौंसपट्टी के बावजूद प्रदर्शन में शामिल हुए, अपने मारे गये साथियों के इन्साफ़ के लिए आवाज उठायी और माँग रखी कि :

1. जमरूदपुर में हुई दुर्घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक

## दिल्ली मेट्रो की चकाचौंध के पीछे निर्माण मज़दूरों की ज़िन्दगी में अँधेरा

मेट्रो के मज़दूरों के जीवन की नारकीय तस्वीर – अगर मज़दूरों के काम की परिस्थितियों की बात की जाये, तो वह दिल दहला देने वाली है। मेट्रो के दूसरे चरण में 125 कि.मी लाइन के निर्माण के दौरान 20 हजार से 30 हजार मज़दूर दिन-रात काम करते हैं। मज़दूरों से श्रम कानूनों को तोड़ते हुए 12 से 15 घण्टे काम करवाया जाता है। इन्हें न तो न्यूनतम मज़दूरी दी जाती है, और न ही साप्ताहिक छुट्टी, ई.एस.आई. और पी.एफ. तो बहुत दूर की बात है। सरकार और मेट्रो प्रशासन ने दिल्ली का चेहरा चमकाने और कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए ठेका कम्पनियों को मज़दूरों को जानवरों की तरह निचोड़ने की पूरी छूट दे दी है। मज़दूरों से अमानवीय स्थितियों से काम कराया जाता है। उनके सुरक्षा उपायों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मज़दूरों की जान से खिलबाड़ करते हुए मुनाफ़ा कमाने का यह नंगा खेल लगातार जारी रहता है। इनके सुरक्षा के क्या इन्तज़ाम किये गये हैं यह तो जमरूदपुर में हुई दुर्घटना ने दिखाया ही दिया। सुरक्षा के नाम पर इन्हें एक प्लास्टिक की टोपी और प्लॉरिसेण्ट जैकेट दे दिया जाता है जो इन्हें पत्थर की चोट से

जाँच हो, न कि डी.एम.आर.सी. द्वारा विभागीय जाँच।

2. दुर्घटना में पीड़ित मज़दूरों और उनके परिवार को डी.एम.आर.सी. भी हरजाना दे और साथ ही परिवार के काम करने योग्य सदस्य को नौकरी भी।

3. गैमन इण्डिया को सरकार तत्काल ब्लैकलिस्ट करे।

4. जमरूदपुर की साइट पर काम को जारी रखने की अनुमति देने वाले डी.एम.आर.सी. अधिकारी को तत्काल बरखास्त किया जाय, उसके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया जाय और उसके खिलाफ़ जाँच करवाई जाय।

5. डी.एम.आर.सी. मेट्रो के निर्माण और प्रचालन में लगे सभी श्रमिकों को श्रम कानून प्रदत्त सभी अधिकार दे और श्रम कानूनों का उल्लंघन बन्द करे।

6. मेट्रो में ठेका प्रथा को समाप्त करके सभी मज़दूरों को स्थायी किया जाय।

7. आगे ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डी.एम.आर.सी. ऐसी प्रणाली बनाए जिसमें ठेकेदारों और डी.एम.आर.सी. के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के अलावा मज़दूर प्रतिनिधि और नागरिक प्रतिनिधि भी हों।

मेट्रो कामगार संघर्ष समिति ने डी.एम.आर.सी. को चेतावनी दी कि अगर मेट्रो प्रशासन मज़दूरों की इन माँगों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ़ आन्दोलन को और तेज़ किया जाएगा। मज़दूर डी.एम.आर.सी. और ठेका कम्पनियों के अत्याचार के विरुद्ध चुप नहीं रहेंगे। मेट्रो प्रशासन को इस मामले में कोर्ट में भी घसीटकर लाया जाएगा। मेट्रो मज़दूरों की नारकीय ज़िन्दगी से बाकिफ़ कराने के लिए हम आपको कुछ तथ्यों से परिचित कराना चाहते हैं।

कर ले। ज्यादातर ऐसी परिस्थिति मज़दूरों को झुकने के लिए तथा सब कुछ सहन करने के लिए मजबूर कर देती है। मेट्रो प्रशासन तथा ठेका कम्पनी साफ बच निकलती है। मज़दूरों की अपनी कोई यूनियन न होने की वजह से वे सीधे ठेकेदार से हक् मांगना तो दूर वह कोई सवाल तक नहीं कर पाते।

मज़दूरों की मज़दूरी का भुगतान और पहचान का सवाल — ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गए मज़दूरों में से किसी को भी कानूनी रूप से तथशुदा न्यूनतम मज़दूरी और अन्य सुविधा नहीं दी जाती है। मज़दूरों को मिलने वाली मज़दूरी में काफी अन्तर है क्योंकि ये मज़दूरी मनमाने ढंग से ठेकेदारों द्वारा तय की गई है मेट्रो रेल में अकुशल मज़दूरों को 12 घण्टे के काम के लिए 100 से 140 रुपये प्रतिदिन तक दिये जाते हैं जबकि कानून न्यूनतम वेतन के अनुसार एक अकुशल मज़दूर को 12 घण्टे काम के 284 रुपये मिलने चाहिए। इससे साफ है मज़दूरों का उनकी न्यूनतम मज़दूरी से 150 रुपये कम मिल रहे हैं। मज़दूरों को कोई वेतन पर्ची या भुगतान रसीद भी नहीं दी जाती। इस तरह उनके पास अपने रोज़गार या उसकी अवधि का कोई सबूत नहीं होता है। पहचान के नाम पर मज़दूरों के पास हेलमेट और जैकेट होती है जैसे नाम के लिए ठेका कम्पनियाँ कुछ मज़दूर को पहचान पत्र देती भी हैं जो सिर खानापूर्ति होती है क्योंकि इस कार्ड पर न तो मज़दूरों का जाँब नम्बर होता है न ही काम पर नियुक्ति की तिथि होती है दूसरी तरफ मेट्रो के लिए काम करनेवाले निर्माण मज़दूरों को डी.एम.आर.सी ने कोई पहचान पत्र नहीं दिया है और वह उन्हें अपना मज़दूर तक भी नहीं मानता। जबकि कानून मेट्रो के निर्माण से प्रचलन तक में लगे सभी ठेका मज़दूरों का प्रमुख नियोक्ता डी.एम.आर.सी है। जोकि 1971 के ठेका मज़दूर कानून का सरासर उल्लंघन है। न्यूनतम मज़दूरी कानून, ट्रेड यूनियन एक्ट और वर्क मेन्स कम्पंशेसन एक्ट जैसे कानूनों को लागू करवाना प्रमुख नियोक्ता की जिम्मेदारी बनती है।

पारदर्शिता का दावा ठोकने वाली मेट्रो के पहियों और खम्भों में न जाने कितने मज़दूरों की लाश दफ़न है। इसका खुलासा अब धीरे-धीरे हो रहा है मेट्रो का चेहरा अन्दर से कितना क्रूर है इसकी तस्वीर एक दैनिक अखबार की रिपोर्ट बताती है जिसके अनुसार मेट्रो के दस साल के निर्माण कार्य में 200 से ज्यादा मज़दूर मारे गए हैं। अब तक हुए मेट्रो हादसे में जब भी एक से अधिक मज़दूरों, कर्मचारियों और लोगों की मौत हुई है तो उस पर हल्ला मचा है। इस हल्ले के शेरों को कम करने के लिए मेट्रो ने हर बार मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन दूसरी तरफ किसी अकेले मज़दूर, कर्मचारी या राहगीर की मौत होने पर मेट्रो उससे पल्ला झाड़ने में जुट जाता है। इन इक्का-दुक्का मौत पर मुआवजा भी नहीं दिया जाता। नांगलोई में मज़दूरों के मरने की बात हो या मन्दिर मार्ग हादसा कहीं भी मेट्रो ने मुआवजा नहीं दिया। और यही नहीं 22 जुलाई को इन्द्रलोक-मुंडका लाइन पर मारे गए मज़दूर विक्की की मौत पर भी मेट्रो पल्ला झाड़ता नज़र आया।

ठेका कम्पनियों के प्रति डी.एम.आर.सी की वफ़ादारी- दिल्ली मेट्रो के द्वितीय चरण के निर्माण एवं अन्य

कार्यों में करीब 215 कम्पनियाँ शामिल हैं, जिसमें एलिवेटेड लाइन के निर्माण में गेमन इंडिया, एल एंड टी, एफ़कॉन, आईडीईबी, सिम्लेक्स कम्पनी लगी हुई है जबकि भूमिगत लाइनों के निर्माण में एफ़कॉन, आईटीसीएल, आईटीडी, सेनबो इंजीनियरिंग कम्पनियाँ लगी हुई हैं इन कम्पनियों का उद्देश्य सिर्फ लाभ करना है, सामाजिक ज़िम्मेदारी से इनका कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि मेट्रो की कार्य संस्कृति भी सामाजिक सरोकारों से बहुत दूर है। तभी तो मज़दूर के शरीर पर लांचर परि, पुल टूटकर मज़दूर को दफ़नाए या ज़िन्दा मज़दूर मिट्टी में दफ़न हो जाए लेकिन मेट्रो निर्माण में लगी कम्पनियों की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका उदाहरण लक्ष्मीनगर हादसे की दोषी एफ़कॉन कम्पनी है क्योंकि लक्ष्मीनगर हादसे के बाद डी.एम.आर.सी ने एफ़कॉन कम्पनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही उसे काली सूची में डाल दिया था, लेकिन फिर भी एफ़कॉन कम्पनी को दूसरे चरण के किसी निर्माण कार्य से अलग नहीं किया गया।

कैंग रपट के अनुसार मेट्रो प्रशासन की काली करतूतें

1. मेट्रो रेल फल और लाईन बनाने में प्रयुक्त सामानों की गुणवत्ता की जाँच अवैध प्रयोगशालाओं में होती है। जाँच के समय डी.एम.आर.सी के अधिकारी भी मौजूद नहीं रहते।

2. रपट में कहा गया कि डी.एम.आर.सी की सीधी जबाबदेही न तो केन्द्र सरकार के शहरी विकास मन्त्रालय के प्रति है और न ही साफ तौर पर दिल्ली सरकार के प्रति। दूसरी तरफ डी.एम.आर.सी पर केन्द्र व राज्य की ओर से कोई नियमित निगरानी तन्त्र का अभाव है।

3. समय पर काम पूरा करने के लिए जाँच के नाम पर होती है खानापूर्ति और जाँच पूरी तरह ठेकेदारों के हवाले।

4. लक्ष्मीनगर हादसे की दोषी एफ़कॉन इण्डिया पर 10 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही उसे काली सूची में डाल दिया था। लेकिन फिर भी एफ़कॉन को दूसरे चरण के काम से हटाया ही नहीं गया।

5. मेट्रो ने सरकार से 14 से 354 फीसद अधिक ज़मीन ली थी लाइन बिछाने के लिए, लेकिन वहाँ बना दिये शॉपिंग मॉल और शोरूम ताकि मुनाफ़ा पिट सके। और एक आरटीआई के जबाब में मेट्रो ने बताया है कि डी.एम.आर.सी एक माह का शुद्ध मुनाफ़ा 17 करोड़ है।

मेट्रो प्रशासन जरूरत से ज्यादा ज़मीनें ख़रीदकर व्यापार कर रहा है। और उसका बताव उसी तरीके का है जैसे कि किसी पूँजीपति का होता है। असलियत तो यह है कि डी.एम.आर.सी. मज़दूरों की जान की क़ीमत पर दिल्ली को “विश्वस्तरीय” शहर बनाने में लगा हुआ है। जैसा कि कैंग की रिपोर्ट भी बताती है कि मेट्रो प्रशासन सुरक्षा मानकों के साथ खिलाड़ करता रहा है। ठेका कम्पनियों को मेट्रो प्रशासन ने श्रम कानूनों का मखौल उड़ाने की पूरी आज़ादी दे दी है। जिससे बेहद कम मज़दूरी पर सस्ते श्रम को निचोड़ा जा सके। यह अकारण नहीं है कि सारा शासक वर्ग अमीर जमातें और खाता-पीता मध्यवर्ग श्रीधरन के गुणगान करते नहीं थकता।

- अजय